न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर, कैम्प, सागर

निग-1643-I-16

शीलम तनय राजाराम पटैल

साकिन ग्रामबेरखना तह0 व जिला सागर ...आवेदक

।।विरूद्ध।।

1. प्रबंधक, यूनियन बैंक आफ इंडिया,
शाखा पदमाकरनगर तह0 व जिला सागर
2. प्रभात सोनी तनय दीनानाथ सोनी,
साकिन पुरव्याऊ टौरी, तह0व जिला सागर .. .अनावेदकगण

30
31/03/2016

रिवीजन अंतर्गत धारा -50 म.प्र. भू. रा. संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक माननीय अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदा परसोरिया तह0 सागर द्वारा रा.प्र.क्र. 1230/बी/121 वर्ष 2012-13 मे पारित आदेश दि0 14.06.13 से परिवेदित होकर यह रिवीजन निम्न प्रमुख कानूनी तथ्यो के आधारपर प्रस्तुत करता है :-

1- यहकि, आवेदक की कृषिभूमि ग्राम बेरखना प.ह.नं.- 8भूमि खसरा नंबर 1079 रकवा 0.340आरे, ख.नं. 1080 रकवा 0.372 आरे, खसरा नं. 388 1081 रकवा 0.485 आरे कुल रकवा 1.117 आरे भूमि है। जिसपर आवेदक मालिक काबिज है तथा कृषि कार्य करता है उक्त भूमि आवेदक की खानदानी भूमि है एवं पूर्व मे उक्त भूमि आवेदक के 0000 चाचा मुलु पिता बारेलाल के नाम थी, जो निःसंतान होने के कारण उन्होने आवेदक को वसियतनामा के द्वारा दी थी।

2- यहकि, आवेदक ने कभी भी दिनांक 10.03.92 को उक्त भूमि अनावेदक क्र.2 को विक्रय नही की है ना ही मौके पर अनावेदक क्र.2 का

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—1643—एक / 2016 जिला—सागर

शीलम पटैल विरूद्ध प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22—08—2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी नायब तहसीलदार सागर, जिला—सागर के प्रकरण क्रमांक 1230 / बी—121 / 2012—2013 में पारित आदेश दिनांक 14—06—2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 04—11—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	